



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत के दृष्टि से एक राष्ट्र एक चुनाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रा. डॉ. लक्ष्मण रत्नाकर बाबुराव
विभागाध्यक्ष तथा सहयोगी प्राध्यापक
स्नातक एवं स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग
देगलूर महाविद्यालय देगलूर

सारांश (Abstract) : यह शोध लेख एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत में किस प्रकार आवश्यक है इसके विश्लेषण से संबंधित है . एक राष्ट्र एक चुनाव से जो पैसा , समय , साधनसंपत्ती बचेगी उसका सदुपयोग राष्ट्र को विकसित बनाने में होगा . सुशासन का निर्माण होगा , युवा किस प्रकार अपने भविष्य के प्रति सोचेंगे , सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदूषण घटेगा और एक राष्ट्र एक चुनाव से सरकारी मशिनरी का ध्यान विकास कार्यों में लगेगा , जिससे विकास कार्य कि गती बढेगी इन सब का विश्लेषण इसमें किया है . साथ ही इस विषय पर वर्तमान केंद्र सरकार कि क्या सोच है इसे भी स्पष्ट किया है . इस विचार को वास्तविकता में लाने हेतू क्या करना होगा यह भी जानकारी दी है .

कीवर्ड : एक राष्ट्र एक चुनाव , लोकतंत्र , चुनाव आयोग , राजनीतिक दल , लोकसभा , विधानसभा , अलोकतांत्रिक , राजनीति , विचार , निरंतर चुनाव

1. प्रस्तावना :

एक राष्ट्र एक चुनाव यह विचार लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनावों को पांच साल में एक बार ही करणे का समर्थन करता है . इससे भारत कि साधन संपत्ती , मनुष्यबळ आदि का जो निरंतर चुनाव में अपव्यय होता है वह नहीं होगा . भारत में पहला आम चुनाव 1952 को हुवा . तबसे ले के आजतक के लोकसभा चुनावों पर एक नजर डालने से इन सभी चुनाव में होनेवाले अलोकतांत्रिक , असंवैधानिक , अमानविय कवायतों पर नजर डालने से सभी को एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार अच्छा महसूस होता है . वर्तमान भारत के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पूर्णतः नया विचार नहीं है . क्योंकि आजादी के बाद 04 आम चुनाव को भारत ने सफल बनाया है . इन चार आम चुनाव में लोकसभा समेत सभी राज्यों के चुनावों को बिना ब्रेक के हर पांच साल के बाद पूर्ण किया है . वर्तमान भाजपा कि स्पष्ट जनमत कि सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में सकारात्मक सोच रही है . लेकिन इसको राजनीति का स्वरूप प्राप्त हुवा है . जिन्होंने आजादी के बाद दो दशक एक राष्ट्र एक चुनाव को कार्यान्वित किया है वह आज इसके विपक्ष में बोल रहे है : 1967 के बाद भारत कि राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए-इन राजनीतिक -सामाजिक-आर्थिक बदलावों ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एकत्रित चुनाव कि प्रक्रिया को खंडित किया . क्योंकि देश के अनेक राज्यों के विधानसभाओं को भंग कर वहा मध्यावती चुनाव कराए . जिसकारण आज हर साल में चार से पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होते है . राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने राजनीतिक स्वार्थवाद को पूर्ण करने हेतू दल -बदल को अपनाते है . जिससे पुन्हा उन्हीं सीटों पर मध्यावती चुनाव होते है . इन चुनावों में केंद्र -राज्यों कि प्रशासनिक यंत्रणा , चुनाव आयोग , उनके कर्मचारी सभी चुनावों कवायतों में व्यस्त रहते है . इस व्यस्तता से देश के राजनीतिक- प्रशासनिक - सामाजिक -आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सभी अंगों को निजात दिलाने हेतू एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार सामने आया है . जो निरंतर चुनाव से होनेवाले गंभीर परिणामों का प्रतिवाद है .



इस शोध लेख में एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत कि दृष्टी से क्या उपयुक्त है, यह स्पष्ट किया है. पिछले सात दशकों में भारत में अनेक क्षेत्रों में विशाल प्रगति कि है. फीर भी वर्तमान भारत में जो समस्या आजादी के काल में थी वह आज भी है. आज भी चुनावों में भ्रष्टाचार, फर्जी वोट, बूथ कब्जा, पैसों कि लेनदेन, प्रत्याशीयों कि खरेदी होती है. चुनाव भ्रष्टाचार का सही मार्ग बन गया है. स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, नदियों के जोड, बिजली कि आपूर्ती आदि में भारत आज भी पिछडा है, जिसे कोविड -19 की सर्वव्यापी महामारी ने उजागर कर दिया है. राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ती के क्षमता का सही इस्तमाल नहीं होता है. राजनेता एवं उच्च पदस्थ अधिकारी कर्मचारी के प्रतिभा को चुनाव या अपने निजी कामों में अधिक इस्तमाल करते दिखाई देते है. प्रशासनिक सुधार हेतु आयोग तो निर्माण होते है, लेकिन उनके क्रियान्वयन को राजनीतिक या चुनावी रंग में रंग दिया जाता है. चुनावी सुधार अपने स्वार्थ या फायदे के हिसाब से अपनाये जाते है. लोकतंत्र रहकर भी चुनावी सुधार से संबंधित जनमत को अनदेखा किया जाता है. भारत उपरी सभी स्थिती और अन्य क्षेत्रों में सुधार करणे हेतु एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार फायदेमंद साबित होगा. लेकिन इसे कार्यान्वित करने से पूर्व संवैधानिक धारा और ढांचे के बारे में भी विचार करना जरूरी है.

2. एक राष्ट्र एक चुनाव कि भारत की दृष्टीसे आवश्यकता :

एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार मूलगामी है. इससे भारत के किन क्षेत्रों में क्या बदलाव होंगे यह अध्ययन का विषय है. इसी विचार को आधार मानकर शोधार्थी ने इस लेख में एक राष्ट्र एक चुनाव कि आवश्यकता को निम्न प्रकार से दर्शाया है.

A. अर्थव्यवस्था में सुधार होगा :

किसी भी राष्ट्र को विकसित बनणे हेतु आर्थिक पहलु पे अधिक काम करना होगा. भारत ने आजादी से हि आर्थिक सुधारों पे अधिक ध्यान दिया है. लेकिन बढ़ती जनसंख्या, निरंतर चुनाव, भ्रष्टाचार, नैसर्गिक - मानव निर्मित आपदा, आतंकवाद आदि अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख बाधाएं है. इनमें निरंतर चुनाव अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा है. इसको अनेक विद्वतजनों ने स्पष्ट किया है. इस पर अनेक विद्वत, ज्ञानी पंडीतों में मतभेद हो सकते है. क्योंकि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक मजबूत करते है. उसके हेतु कूच धन राशी खर्च होती है तो कूच फरक नहीं पडेगा. यह बात भी सही है. लेकिन यही चुनाव अगर एक साल में पांच बार, हर माह में होणे लगे तो चुनाव एक मजाक बन जाते है. इसके प्रति कि गंभीरता, संवेदनशीलता, आत्मियता खत्म हो जाती है. वह महज एक औपचारिक प्रक्रिया बन जाती है. निरंतर चुनाव से देश के अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है. यह कम करने के बारे में सोचना सभी भारतीयों का कर्तव्य है. चुनाव करणे में राजनीतिक दल, चुनावी प्रत्याशी, कॉर्पोरेट जगत, भारत सरकार आदि का मिलाकर अरबों रुपयों का खर्च होता है. इस खर्च में निरंतर चुनाव से अधिक बढ़ोतरी होती है. जिस देश में आजभी कुल जनसंख्या से 80% जनता गरिबी रेखा के निचे है ? सभी लोगों को शिक्षा जैसी मुलभूत सुविधा मुहवप्या होती नहीं. पक्की सडकें, बिजली, रोजगार के साधनों कि आपूर्ती का अभाव है. उद्योग, तंत्रज्ञान, तकनीकी के लिए हम दुसरे देशों पे निर्भर है. उस देश में निरंतर चुनाव करना जरूरी है क्या ? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कुशल भारत -कौशल्य भारत, नदी जोड प्रकल्प, कोरोना जैसे महामारी का सामना करणे में निर्माण आर्थिक कठिनाईयों को देखकर हमें एक राष्ट्र एक चुनाव को कार्यान्वित करना चाहिए. क्योंकि इन निरंतर के चुनावों में खर्च होनेवाला पैसा हम आर्थिक -सामाजिक विकास पर खर्च कर देश को आर्थिक बलशाली बना सकते है. जिससे हम विकसित राष्ट्र बनेगे. हमारे आंतरराष्ट्रीय हेतु भी जल्द पुरे होंगे. स्थिर सरकार के कारण निवेश भी बढ़ेगा. अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु एक राष्ट्र एक चुनाव बुष्ट का काम करेगा.

B. प्रभावकारी सुशासन हेतु आवश्यक :

किसी भी देश कि व्यवस्था का प्रशासनिक व्यवस्था महत्वपूर्ण अंग है. यह यंत्रणा जितनी कारगर होगी उतनी हि राष्ट्र और जन कल्याण कि नीति अधिक गती से कार्यान्वित होगी. इसके लिये जरूरी है कि उन्हें उनके हि कार्य में व्यस्त रखे और उन्हें अधिक प्रशिक्षित बनाये. प्रभावकारी सुशासन निर्माण करने कि जिम्मेवारी इन्हीं के कंधों पे होती है. क्योंकि इनका सीधा संबंध योजना, नीति के क्रियान्वयन से होता है. भारत जैसे विशाल प्रशासनिक यंत्रणा, कार्यक्षेत्र, योजना के देश में प्रशासन का सुशासन होना अधिक आवश्यक है. इसके हेतु देश में अनेक प्रयास भी किये है. फीरभी सुशासन नहीं है. सुशासन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक उदेश है. इस उदेश के पूर्ती हेतु एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार, नीति कारगर साबित होगी. ऐसा मानने वाला एक वर्ग है. यह वर्ग ना केवल राजनीतिक है, बल्की प्रशासनिक भी है. ऐसा इस अध्ययन से स्पष्ट होता है. अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारीओं का कहना है की, प्रशासनिक व्यवस्था का अपने नियत कार्य से ध्यान हटाने में चुनाव का सबसे बड़ा योगदान है. वह भी खासकर निरंतर होनेवाले चुनाव. निरंतर चुनाव से देश कि संपूर्ण प्रशासनिक यंत्रणा चुनावी कामों में व्यस्त रहती है. चुनाव कि एतिविधिया एक -दो दिन में खत्म होनेवाली नहीं है. वह महिनो चलती है. जिससे हमारे अधिकतर कर्मचारी चुनावी कामों में व्यस्त रहते है, जैसेकी वोटर लिस्ट को बनाना, उसे अपडेट करना,

चुनावी प्रशिक्षण देना / लेना, चुनाव से संबंधित सभी साधनों को साहजिक कि जमावट करना, मतदान जागृती से संबंधित उपक्रम चलाना, चुनाव के लिए आवश्यक कर्मचारी कि जोड करना आदि कार्य करने में हि कर्मचारी व्यस्त रहते है . अब तक हुए इस अध्ययन से यह बात सामने आई है कि केंद्र और राज्यों के चुनाव में कर्मचारी एक राष्ट्र से काम पे लाग जाते है . हालाकि सभी जिलाधिकारी कार्यालयो मे अलग से चुनावी कार्यालय, उसका प्रशासनिक उपजिलाधिकारी पद का अधिकारी और उसके अधीन अन्य कर्मचारी रहते है . लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव इन अधिकारी और कर्मचारी से हि पूर्ण नहीं होते . इसमे उस जिले के सभी महसुल, पोलीस, शिक्षा, कृषी, स्वास्थ्य, बांधकाम, मिलिट्री आदि विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, जवान आदि का सहयोग आवश्यक है . देश या राज्य के सभी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी हमेशा हि चुनावी गतीविधियों में व्यस्त रहने लगे तो प्रशासनिक कार्य जो जनहित, लोककल्याण, राष्ट्र हित से जुडा है वह आगे कैसे बढेगे . प्रशासन जवाबदेही, उत्तरदायी, साफ-सुथरा, कार्यप्रवण, गतिमान नहीं बनेगा . इसलिये एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार आवश्यक है .

C. विकास कार्यों कि गती बढाने मे सहाय्यभूत ;

क्या चुनाव और विकास का कोई संबंध है ? निरंतर चुनाव से विकास कि प्रक्रिया अवरुद्ध होती है ? पांच साल मे एक बार चुनाव होणे से विकास कार्य कि गती सचमुच बढेगी ? क्या निरंतर चुनाव से नियत प्रशासनिक कार्य बाधित होता है ? ऐसे कई अन्य सवाल एक राष्ट्र एक चुनाव और विकास का संबंध जोडणे से निर्माण होते है . चुनाव पारदर्शिक, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक गरिमा को संभालकर हो इसलिए आचारसंहिता होती है . चुनाव के दौरान राजनेता, राजनीतिक दल या प्रत्याशी कि ओर से मतदाता को लुभाने जन्म कोई आचरण न हो इस हेतु से आचारसंहिता होती है . एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करनेवालो का कहना है कि, निरंतर चुनाव के कारण देश, राज्य, विभाग, जिला, तालुका, मंडळ आदि मे आचारसंहिता होणे से विकास कार्य रुक जाते है . याने चुनाव किसीभी नई परियोजना, योजना, नीति निर्धारण पर रोक लगाता है . महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य मे 2016-17 मे साल के 365 दिनों मे से 325 दिन चुनावी आचारसंहिता थी. यह आचारसंहिता राज्य कार्यपालिका, स्थानीय निकाय के चुनाव के कारण थी . ऐसे स्थिती मे सर्वसमावेशक विकास से संबंधित कार्य कि गती थम जाती है . यह बात सभी राजनेता और राजनीतिक दलो के प्रतिनिधी भी जानते है . फिरभी एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आढ मे रहकर विरोध हो रहा है . एक राष्ट्र एक चुनाव से आचारसंहिता कि प्रक्रिया से प्रशासन, प्रशासनिक कर्मचारी, राज्यव्यवस्था और आम आदमी को छुटकारा मिलेगा . जिसे सभी एक होकर देश के प्रशासनिक एवं अन्य विकास से संबंधित कार्यों कि गती को बढाने मे जूट जायेंगे

D. सरकारी मशनरी का सामाजिक कल्याण कि ओर लक्ष केंद्रित हुना

सरकारी मशनरी के सहायता से हि चुनाव सफल होते है . पहले हि सरकारी मशनरी पर दिन ब दिन काम का बोज बड रहा है . क्योंकि जनसंख्या मे हर दस साल मे लक्षणीय बधोत्तारी हो रही है . सूचना अधिकार, सूचना प्रोदोगीकी ने जनता को अधिक सजग बनाया है . सरकार से जनता कि अपेक्षा बढ रही है . आपदा मे बढोतरी हो रही है . कोरोना, बाढ आदि ने सरकारी मशनरी के कार्यों मे बढोतरी कि है . इन्ही कामो के लिए सरकारी मशनरी को समय कम मिलता है . उपरसे सरकारी मशनरी मे होनेवाली कर्मचारी कि भरती (सभी क्षेत्र)का प्रमाण भी घट रहा है . ऐसे मे काम अधिक और कर्मचारी कम यह स्थिती सरकारी मशनरी कि बनी है . ऐसेमे चुनाव का अतिरिक्त काम इसी सरकारी मशनरी को करना पडता है . अगर चुनाव पांच साल मे एक बार होते है तो ठीक है . इसकेलिए नियत काम का सही व्यवस्थापन कर समय निकाला जाता है . लेकिन देश के हर राज्य मे चुनावी स्थिती दिन ब दिन बिघड रही है . एक साल मे स्थानीय निकाय (गरम पंचायत, पंचायत समिती, जिला परिषद), पतसस्था, दुध मंडळ, कामगार संघटना, शिक्षक कर्मचारी संघ, जिला समिती आदि के चुनाव निरंतर होते है . इसके अलावा राज्य विधानसभा, विधानपरिषद के नियत चुनाव, दल-बदल, मृत्यु के कारण होणे वाले मध्यावधी चुनाव आदि के कारण राज्य ओर देश हमेशा चुनाव के मोड मे होता है . यह चुनावी मोड देश के सभी वर्गो को अलोकतांत्रिक कवयतो कि तरफ ले जाता है . राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार बढता है . पुलिस, न्यायालय, शिक्षा विभाग, सभी प्रशासनिक विभाग, जिसे हम सरकारी मशनरी का अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा मानते है वह सभी अपने नियत काम मे समय नहीं दे पाते है . सरकारी कचेरी, न्यायालय मे फाईलो का ढीग बढ रहा है . खासकर शिक्षा विभाग और प्रशासनिक यंत्रणा जिनका अधिक संबंध सामाजिक कल्याण से वह अपने लक्ष से भटक जाते है, ऐसा इस अध्ययन मे स्पष्ट हुआ है . सरकारी मशनरी का जन कल्याण कि ओर ध्यान आकर्षित करना अति आवश्यक है . इसलिए जिन कारणो से उनका ध्यान अपने लक्ष से हट जाता है उन अनेक कारणो मे से निरंतर चुनाव यह एक कारण है . इन कारणो को जल्द हि मुलता नष्ट करना सरकार मे शामिल सभी का काम है . या ऐसे कारणो से सरकारी मशनरी का



सामाजिक कल्याण से अपना ध्यान किस प्रकार विचारित होता है वह सरकार को बताना पंडित, विद्वत जणों का भी काम है देश के लोकसभा, विधानसभा या यु कहे सभी क्षेत्र में होने वाले चुनाव में साल में एक बार ही होते हैं। तो यह देश में मूलगामी बदलाव होगा। सभी का ध्यान चुनाव के बाद समाज और राष्ट्र हित कि आरंभ में आकर्षित होगा। सरकारी मशनरी को चुनाव मुक्त बनाने का समय आया है।

E. युवा अपने भविष्य के प्रती सोचेगा :

भारत दुनिया का दुसरे नंबर का जनसंख्यावाला देश है। इस जनसंख्या में सबसे अधिक संख्या युवा वर्ग कि है। युवा वर्ग का राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो आजादी के आंदोलन से लेकर 1947 ई. में हुए लोकपाल आंदोलन तक। आज हर वर्ग का युवा राजनीति में अपना करियर करने के प्रति आकर्षित है। लेकिन भारत में राजनीति कुछ चुनिदा घराणों के हाथों और उनके हित में व्यस्त है। इसलिए देश के राजनीति में घराणेशाही मजबूत है। साथ ही राजस्थानक दल सत्ता कि बागडोर युवा वर्ग के हाथों में न देकर बुजुर्ग राजनेता के हाथ में सोपते हैं। हाल ही में राजस्थान के राजनीति में जो युवा उभरकर सामने आया उसके पिछे युवा नेतृत्व की होनेवाली अवहेलना है। चुनाव में उन्ही युवा को राजनीतिक दल प्रत्याशी बनाते हैं जिन्होंने कोई राजनीतिक पाठबळ हो। सभी राजनीतिक दल अपने बेटे, बहु, पत्नी, दामाद, भाई आदि को ही चुनाव में अवसर देते हैं। राजनीतिक दलों को बढा करणे में आम जनता का अधिक योगदान होता है। लेकिन जब दल का नेता चुनना, चुनाव में टिकट देणे कि बात आती है तब आम कार्यकर्ता को दूर कर अपने परिवार के सदस्य को चुना जाता है। साथ ही निरंतर चुनाव होने से अधिकतर युवा चुनावी मनीविधियों में व्यस्त रहते हैं। राजनीतिक दलों का प्रचार करना, पर्चे बाटना, चुनावी रयालीओ का आयोजन करना, प्रचार हेतु घर से बाहर रहना, प्रतिपक्ष के प्रत्याशी से झगडे करना, पुलिस थाने के चक्कर लगाना, राजनीतिक अपराधीकरण का हिस्सा बनाना। इस कारण वह अपने व्यक्तिगत करियर कि ओर ध्यान नहीं देते। जिसकारण उनके घर वाले हमेशा ही चिंतीत रहते हैं। निरंतर चुनाव उन्हे अपने भविष्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं देते। सभी राजनेता चुनाव के समय इन युवा वर्ग का इस्तमाल करते हैं। उनके हित के बारे में बड़ी बड़ी योजना करते हैं। रोजगार, शिक्षा, स्ववलंबन, आत्मनिर्भर भारत, कुशल भारत आदि योजना बनती है। लेकिन जब इसके लाभकारी चुनने समय सत्ता में बैठे अपने ही सगे संबंधी को इसके लाभकारी बनाते हैं। अगर देश में चुनाव हर पांच साल में एक ही बार होते हैं तो जो समय इन युवाओ को मिलता है उसका सदुपयोग वह अपने और अपने परिवार के हित के बारे में करेंगे। अपनी सोच को वह राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र हित में लगायेंगे। चुनाव कि गंधी राजनीति से उभारकर साफ सुथरे चरित्र के युवा कि संख्या बढेगी। सामाजिक प्रश्नों को सरकार के सामने प्रस्तुत करणे में अपनी उर्जा का उपयोग करेंगे। जनता के दुख दर्द को समझने में अपना समय व्यतीत करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार अनेक प्रकार से युवा वर्ग कि सोच को सकारात्मक सोच में बदलने हेतु आवश्यक है।

F. सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने में सक्षम :

चुनाव के दौरान सत्ता को प्राप्त करणे हेतु राजनीतिक दल और प्रत्याशी सभी लोकतांत्रिक मर्यादा को पार कर प्रचार करते हैं। जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म, चरित्र का हनन, पारिवारिक टीका, अलोकतांत्रिक वाक्य और भाषा का प्रयोग होता है। जिससे लोकतंत्र बदनाम और दागदाग होता है। लोकतंत्र पर होनेवाले यह अनैतिक प्रहार पिछले अनेक दशकों से हो रहे हैं। जिसकारण लोकतंत्र और उसकी प्रणाली का राजनीतिक सामाजिकरण सही ढंग से नहीं होता है। चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के लिए एक अवसर होता है। इस अवसर को सत्ता में रूपांतरित करणे हेतु किसी भी गैर मार्ग का उपयोग होता है। चुनावी मर्यादा को लांघकर चुनाव प्रचार, सभा आदि का नियोजन होता है। अपराध का सहारा लेकर चुनाव जिते जाते हैं। सामाजिक एकात्मता को भंग कर दंगे निर्माण करणे का काम चुनावी प्रचार सभा से होता है। जाति-जाति में झगडे, धर्म में दरार, सांप्रदायिक वर्गों को बढावा, समाज में एक दुसरे के प्रति द्वेष, पारिवारिक झगडे, परिवार में दरार, कार्यकर्ता में झगडे आदि जो सामाजिक पर्यावरण को विगाडने के काम होते हैं वह अधिकतर चुनाव में ही होते हैं। चुनाव में होनेवाले सभा, प्रचार से ध्वनी, वायु प्रदूषण होता है। चुनाव में जीत हासिल करणे वाला प्रत्याशी बड़ी मात्रा में फटाके बजाता है, गुलाल कि बौछार होती है, फूलों के माला के ढेर निर्माण होते हैं। चुनाव के दौरान और बाद में जो कचरा, कुड़ा सडक, हवा और पाणी के रूप में निर्माण होता है। उसका विनियोग कैसे करे यह प्रशासन के सामने निर्माण होनेवाली बड़ी समस्या है। अधिकतर चुनाव इम्तिहान के काल में होते हैं। चुनाव में होने वाला ध्वनी प्रदूषण मात्र के पढाई में बड़ी बाधा निर्माण करता है। इन सभी सामाजिक और पर्यावरणीय दोषों को देखते एक राष्ट्र एक चुनाव का जो विचार सामने आया है वह सोचने योग्य है। इस विचार के कार्यान्वित होने से देश निरंतर चुनाव के चक्कर से मुक्त होगा। सामाजिक समरसता को बढावा मिलेगा। पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है वह नहीं होगा।



3. वर्तमान सरकार कि गंभीरता :


नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करनेवाली सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की उम्मीद ही गंभीरता से सोच रही है। वर्तमान कोविड -19 आपदा का निर्माण नहीं होता तो यह सरकार अर्थसंकल्पों के माध्यम से विकास को सदन में बहस को जरूर छेड़ती। जून 2020 में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक संघर्षीय आ विनिर्णय करने के विचार पर सहमती बनी। भाजपा समेत उनके अन्य सहयोगी दल भी इस विचार के समर्थन में हैं। नरेंद्र मोदीजी ने अपने राजकारण में अनेक जगह एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार किस प्रकार राष्ट्र और समाज के हित में स्पष्ट किया है। इससे जवाब, अनुकूल, समय, साधन संपत्ति आदि कि बचत होगी। देश के राजनीतिक संस्कृति में बदलाव होगा। राष्ट्र और जन हित के बारे में सोचने के लिए सभी को पर्याप्त समय मिलेगा। सकारात्मक राजनीति का माहोल निर्माण होगा। जो सभी के लिये अच्छा है। सरकार के द्वारा राष्ट्र की राजनीति का रूप देने का काम विपक्ष कि और से हो रहा है। विपक्ष भी इस विचार को खूल के विरोध नहीं कर रहा है। लोक भी यह मत है कि यह विचार अच्छा है लेकिन इस समय में नहीं। तो कूच विपक्ष इसे गैरसंवैधानिक मान कर लोकतंत्र के खिलाफ जाते हैं। इससे संवैधानिक व्यवस्था का हनन होगा। एक व्यक्ति, एक नेता, एक दल, एक विचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रादेशिक राजनीतिक दल, स्थानीय विषय राष्ट्रीय राजनीति से बेदखल होंगे।

एक राष्ट्र एक चुनाव उपाय एवं निष्कर्ष :

एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार तो अच्छा है लेकिन इसे कार्यान्वित करने से पूर्व कूच संवैधानिक सुधार करने होंगे। संवैधानिक धारा 83,85,172,174,356 और जनप्रतीनिधीत्व अधिनियम 1951 में संशोधन करना होगा। मध्यावधी चुनाव कि प्रक्रिया का खात्मा करना होगा। इस विषय को जनता में अधिक चर्चित कर उनकी राय को जानना चाहिए। लोकसभा चुनाव के समय पर यदी सभी राज्य अपनी विधानसभा को भंग कर लोकसभा के साथ चुनाव करते हैं तो भी यह व्यवस्था निर्माण होगी। उपरी सभी विषयो कि पूर्ती एक राष्ट्र एक चुनाव से होगी। इसलिये इस विषय पर देश के सभी राजनेता, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधी, कर्मचारी, जनता, प्रशासनिक अधिकारी आदि को जनजागरण करना जरुरी है। जनता में इस विषय को मिडिया, परिषद, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों आदि के सहायता से ले जाना होगा। इस विचार से होनेवाले फायदे, नुकसान, निर्माण होनेवाली चुनौतियां इसके बारे में सदन, राज्य विधानसभा सभी के पटल पर चर्चा होना जरुरी है। क्योंकि चर्चा लोकतंत्र कि निव को अधिक मजबूत करती है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक विषय, चुनाव आयोग कि समस्या को समझना होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागीता, राजनीतिक विकास में क्या बदलाव होंगे यह जनता और सभी वर्ग के लोगों को समझाने का काम सरकार को करना चाहिए।

संदर्भ साहित्य :

1. <http://oneindiaonepeople.com/one-nation-one-election/>
2. <https://www.2thepoint.in/possibility-of-one-nation-one-election/>
3. <http://zeenews.india.com/india/bjps-push-for-one-nation-one-poll-is-a-gimmick-congress-2077288.html>
4. <http://www.indiafoundation.in/symposium-on-one-nation-one-election-2/>
5. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/one-nation-one-poll-needs-many-legislation-sec-op-rawat/articleshow/62628484.cms>
6. <http://www.uniindia.com/call-for-one-nation-one-election-is-also-jumla-chidambaram/india/news/1122724.html>
7. विधि आयोग का अहवाल
8. म्हाळगी प्रबोधनी का अहवाल
9. दैनिक लोकसत्ता


Dr. Anil Chidrawar
 I/C Principal
 A.V. Education Society's
 Degloor College, Degloor Dist. Nanded